न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 197/2026

ऋषि सुलतानिया, पता फ्लेट नं0 002, ए विंग, बी—55, राधिका सीएचएस, गोकुलधाम, गोरेगांव ईस्ट, पिन कोड 400063, मो0नं0 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 20.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 197/2026 पर दिनांक 29.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1346—47 दिनांक 30.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2026/92 दिनांक 14.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय, चिडावा से संबंधित होने के कारण कार्यालय हाजा द्वारा तहसीलदार, चिडावा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार चिडावा के पत्रांक भू0अ0/2026/974 दिनांक 01.05.2026 द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2026/92 दिनांक 14.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय, चिडावा से संबंधित होने के कारण कार्यालय हाजा द्वारा तहसीलदार, चिडावा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार चिडावा के पत्रांक भू0अ0/2026/974 दिनांक 01.05.2026 द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं